

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>प्रतापाराम बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लोहावट)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 61/2019</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>29.05.19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी प्रतापाराम पुत्र सजुराम पता मुलराज नगर लोहावट, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 13.03..19 में उसके द्वारा (1) तहसील लोहावट पटवार हलका विष्णावास लोहावट खसरा नम्बर 823 में जो जो भी अतिक्रमण के संबंध में की गई कार्यवाही तथा कार्यालय टिप्पणी, नोटशीट, ऑडरशीट, नोटिस, उच्च अधिकारियों द्वारा परिपत्र आदेश पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लोहावट) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार लोहावट) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.(तहसीलदार लोहावट) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना सूचना अधिकारी (तहसीलदार लोहावट) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	